रुक्टा (रा.)

राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

Rajasthan University and College Teachers' Association-R

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)

केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004

प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)

website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ 36396–36399 दिनांक: 12.3.14

प्रतिष्ठार्थ

माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय *- चयनित वेतनमान पर पीएच.डी. धारकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी गई अग्रिम वेतन वृद्धियों की वसूली के संबंध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ 25(ई) (116) स्था/निकाशि/2010/1404-10 दिनांक 5 फरवरी 2014 द्वारा पीएच.डी. डिग्री धारक व्याख्याताओं को incentive के रूप में दी गई अग्रिम वेतन वृद्धियों की वसूली की कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश जारी किये हैं **(संलग्नक क्रमांक 1)**। इस संबंध में आपके समक्ष निम्न तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत है -

1. पीएच.डी./एम.फिल. धारक शिक्षकों को प्रोत्साहन (incentive) स्वरूप अग्रिम वेतन वृद्धि देने हेतु राजस्थान सरकार ने notification क्रमांक F.13(2)FD(Rules)/98 दिनांक 19-2-2001 द्वारा Rajasthan Civil Services (revised pay scales for government college teachers including librarians and PTIs) (Amendment) Rules, 2001 जारी किये **(संलग्नक क्रमांक 2)**। ये नियम भारत के संविधान के article 309 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल के आदेश से निकाले गए तथा ये नियम 1 जनवरी 1996 से लागू किये गए।
2. उपर्युक्त notification में नियम 11 को निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया गया -
   "Incentives for Ph.D./M.Phil."
   (a) Four and two advance increments will be admissible to those who hold Ph.D. and M. Phil. degree respectively at the time of recruitment as lecturers.
   (b) One increment will be admissible to those teachers with M.Phil., who acquire Ph.D. within two years of recruitment.
   (c) A Lecturer with Ph.D. will be eligible for two advance increments when she/he moves into selection scale.
   (d) A teacher will be eligible for two advance increments as and when he acquires Ph.D. degree in his service career provided that he/she has not availed the advance increment admissible for possessing M.Phil. degree at the time of recruitment."
3. राजस्थान सरकार ने notification क्रमांक F.13(2)FD(Rules)/98 दिनांक 6 मई 2002 द्वारा immediate effect से उपर्युक्त नियम 11 "Incentives for Ph.D./M.Phil." को delete करने के आदेश जारी किये **(संलग्नक क्रमांक 3)**। इस प्रकार नियम "Incentives for Ph.D./M.Phil." 1-1-96 से लेकर 5-5-2002 तक ही लागू रहा।
4. आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान ने आदेश क्रमांक एफ.1( )विविध/लेखा/निकाशि/09/1290 दिनांक 2-3-2010 से महालेखाकार राजस्थान द्वारा पीएच.डी./एम.फिल. धारकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी गई उपर्युक्त वेतन वृद्धियों को अनियमित माना जाने का हवाला देकर प्राचार्यों को संबंधित प्राध्यापकों से पुनः वसूली करने के निर्देश जारी किये गए कि -

रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org Email: info@ructarashtriya.org
RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: .....

"01-01-1996 से 05-05-2002 की अवधि में ऐसे व्याख्याता जिन्हें एक बार पीएच.डी. का लाभ नियम 11(a) अथवा 11(b) के अन्तर्गत दो अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान कर दिया गया है एवं उसके उपरान्त भी उन्हें चयनित वेतनमान स्वीकृत करते समय नियम 11 (c) के अर्न्तगत पुनः दो अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ प्रदान कर दिया गया है। इन व्याख्याताओं को दुबारा वेतन स्थिरीकरण कर वसूली योग्य राशि उनके वेतन से करने की कार्यवाही सुनिश्चित करे" **(संलग्नक क्रमांक 4)**।

5. महालेखाकार के audit para में एवं आयुक्तालय द्वारा जारी उपर्युक्त आदेश में पीएच.डी./एम.फिल. हेतु प्रोत्साहन स्वरूप दी गई अग्रिम वृद्धियों को दोहरा लाभ मानने में यू.जी.सी. के स्पष्टीकरण एवं राजस्थान सरकार के पूर्व में जारी आदेशों की अनदेखी की गई।

राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक F.3(62)Edu./4/99 दिनांक 4-7-2001 द्वारा यू.जी.सी. को quary भेजी गई जिसका स्पष्टीकरण यू.जी.सी. ने पत्र क्रमांक F.2-3/99(ps) दिनांक 5-3-2002 द्वारा दिया कि -

"Advance increments in lieu of Ph.D. and M.Phil. are in addition to the annual grade increments. The advance increments granted as incentive to those who hold research degree prior to joining the service as lecturer in university/ college are not to be adjusted in subsequent following years against the annual grade increment of the person concerned."

(संलग्नक क्रमांक 5)

6. आयुक्तालय के 2-3-2010 के आदेश से पीड़ित कई व्याख्याता न्यायालय गए, जहाँ से उनसे वसूली नहीं करने के आदेश पारित किये गए, किन्तु अन्य व्याख्याताओं से सरकार ने वसूली जारी रखी। 14 मार्च 2011 को विधानसभा में तत्कालीन विधायक प्रो. वासुदेव देवनानी के प्रश्न का उत्तर देते हुए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. जितेन्द्रसिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि *"आगे जितने भी इस तरह के केसेज है उनमें वसूली नहीं की जायेगी"* **(संलग्नक क्रमांक 6)**। जिसकी अनुपालना में निदेशक कॉलेज शिक्षा ने पत्र क्रमांक एफ.1( )विविध/ लेखा/निकाशि/09/250 दिनांक 26-8-2011 द्वारा व्याख्याताओं से की जाने वाली वसूली को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया **(संलग्नक क्रमांक 7)**। किन्तु अब 5 फरवरी 2014 को जारी पत्र द्वारा वसूली की कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करना सर्वथा अन्यायपूर्ण एवं सेवा नियमों के विपरीत है।

7. *उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं स्तर बनाये रखने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप यू.जी.सी. द्वारा सम्पूर्ण भारत में एम. फिल. और पीएच.डी. डिग्री धारकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का प्रावधान किया गया है। देश के सभी राज्यों में यह प्रोत्साहन दिया गया है। केवल राजस्थान में ही इस प्रकार शोध कार्य को हतोत्साहित करने हेतु 6-5-2002 को इन प्रोत्साहन वेतन वृद्धियों की व्यवस्था को समाप्त किया गया। जिस audit objection para का जिक्र आयुक्तालय द्वारा 2-3-2010 को जारी आदेश में किया गया, वह भी निरस्त करने योग्य है, क्योंकि पीएच.डी./एम.फिल डिग्री का दोहरा लाभ किसी व्याख्याता ने प्राप्त नहीं किया। प्रोत्साहन स्वरूप जो वेतन वृद्धियाँ दी गई वे यू.जी.सी. के नियमानुसार तथा यू.जी.सी. द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता के आधार पर ही दी गई। यह यू.जी.सी. के स्पष्टीकरण दिनांक 5-3-2002 एवं निदेशक के पत्र क्रमांक F.1(64)/ps/DCE/2001 दिनांक 19-4-2002 द्वारा भी supported है* **(संलग्नक क्रमांक 8)**।

रुक्टा (रा.)
राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)
Rajasthan University and College Teachers' Association-R
(अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से सम्बद्ध)
केन्द्रीय कार्यालय : देराश्री शिक्षक सदन, राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर,जयपुर-302004
प्रधान कार्यालय : राजकीय महाविद्यालय, अजमेर-305 001 (राज.)
website: www.ructarashtriya.org **Email:** info@ructarashtriya.org

RUCTA (R)

अध्यक्ष
डॉ. मधुरमोहन रंगा
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
☎ (0145) 2429341, 9414008425

महामंत्री
डॉ. नारायणलाल गुप्ता
राजकीय महाविद्यालय, अजमेर
(मो.) 9414497042

पत्रांक : रुरा/ दिनांक: .....

इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.3(22)शिक्षा-4/99 दिनांक 8-7-2003 में भी पुन: स्पष्ट करते हुए इन वेतनवृद्धियों को सही माना गया। **(संलग्नक क्रमांक 9)**

8. नियम संख्या 11(a) से (b) के अनुसार प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली वेतन वृद्धियाँ दोहरा लाभ तो थी ही नहीं, साथ ही इन नियमों का provision संभावित pay anomalies को ठीक करने हेतु भी किया गया था। उदाहरणार्थ यदि कोई व्याख्याता (अ) नियम 11(d) के अनुसार पीएच.डी. के incentive वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में लेता है तो ये increments चयनित वेतन श्रृंखला के समय merge हो जाते हैं और उसका वेतन 12000/- रु. पर फिक्स किया जाता है, अत: उसे मिलने वाली अग्रिम दो वेतन वृद्धियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। लेकिन कोई व्याख्याता (आ) चयनित वेतनमान के बाद पीएच.डी. करता है तो नियम 11(d) के अनुसार उसका वेतन 12000 + (2 increments of Rs. 420) = 12840/- पर फिक्स होता है। इस प्रकार बाद में पीएच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले व्याख्याता का वेतन अधिक हो जाता है। इसलिए 11(c) के अनुसार व्याख्याता (अ) को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियों का प्रावधान चयनित वेतनमान में जाते समय किया गया है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चयनित वेतनमान के समय किसी तरह को अतिरिक्त लाभ नहीं दिया गया, 1-1-1996 से 5-5-2002 के मध्य चयनित वेतनमान में जाने वाले व्याख्याता को केवल दो वेतन वृद्धियों का ही प्रोत्साहन दिया गया है, जिसे दोहरा लाभ मानना बिलकुल गलत interpretation है। नियम 11(c) के बिना 11(d) का होना कई anamolies उत्पन्न करता है, जिससे अनैच्छिक litigations पैदा होते हैं।

उपर्युक्त तथ्यात्मक विवरण आपके समक्ष निवेदन करते हुए आपसे विनम्र आग्रह है कि -

(1) पीएच.डी./एम.फिल. के लिए नियम (11) के अनुसार दी गई प्रोत्साहन स्वरूप वेतन वृद्धियों को दोहरा लाभ न मानते हुए वसूली के आदेश निरस्त किये जाएं।

(2) पीएच.डी./एम.फिल. डिग्री धारकों को प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों की व्यवस्था को पुन: लागू किया जाए।

विश्वास है आप राज्य की उच्च शिक्षा एवं शिक्षकों के व्यापकहित को ध्यान में रख कर शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय लेकर न्याय करेंगे।

सादर।

भवदीय

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव (उच्च शिक्षा) राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. ~~निदेशक~~ कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।

(डॉ. नारायण लाल गुप्ता)